

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

81] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 11, 1983/फाल्गुन 20, 1904
81] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 11, 1983/PHALGUNA 20, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अभिज्ञान

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1983

सा. का. नि. 256(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी
निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक सलाहकार बोर्ड गठित करती है, जिसमें
निम्नलिखित होंगे —

अध्यक्ष

- माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. एस. चावला, न्यायाधीश, दिल्ली
उच्च न्यायालय ।

सबस्य

- 2 माननीय न्यायमूर्ति श्री एम्. एस. चड्ढा, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
 - 3 माननीय न्यायमूर्ति श्री एम्. रंगनाथन, न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय ।
2. इस सलाहकार बोर्ड का कार्यकाल, इस अधिसूचना की तारीख से 10 मार्च, 1984 तक होगा ।

[फाइल संख्या 674/1/83-सीमाशुल्क 8]

बी. के. बख्शी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 1983

G.S.R. 256(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

CHAIRMAN

1. Hon'ble Mr. Justice T. P. S. Chawla, Judge of the Delhi High Court.

MEMBERS

2. Hon'ble Mr. Justice S. S. Chadha, Judge of the Delhi High Court.
3. Hon'ble Mr. Justice S. Ranganathan, Judge of the Delhi High Court.
2. The term of this Advisory Board shall be upto the 10th March, 1984. from the date of this notification.

[F. No. 674/1/83-Cus VIII]

B. K. BAKSHI, Dy. Secy.